नेशनलसीड्सकॉरपोरेषनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509–223873 ई–मेल :हवण्बेंनितंजहंती/हउंपसण्बवउ	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar **Phone : 01509-223873**

पंत्राक/सी0एस0एफ0/एस.ओ.जी./2–एसपीयू–8/पल्ले/2020–21 दिनाँकः– 12.05.2021

ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) पर रबी 2020–21 एवं जायद/खरीफ 2021 में विधायन संयत्र संख्या 19, 206 खण्ड एक पर अनुमानित 60000 क्विटल रॉ बीजो एवं विधायन संयत्रा संख्या 18,228 खण्ड 2 पर अनुमानित 60000 क्विटल रॉ बीजो के विधायन, पैकिंग एवं पल्लेदारी कार्यो हेतु अनुभवी ठेकेदारों को नियुक्त करने हेतू दो बिड सिस्टम आधार पर ई–निविदाएं दिनांक 24.5.2021 को शाम 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 25.05.2021 सुबह 11 बजे खोली जायेगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण एवं नियम व शर्तें हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com, http//indiaseeds.eproc.in पर देखी जा सकती है। निविदा हेतु हमारे ई–पोर्टल www.indiaseeds.com पर निविदाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

सहा. प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते निदेशक

Particulars	Details
Date of issue of NIT	13.05.2021
Tender document download start date/time	18.05.2021, 9.30 AM
Tender document download end date	24.05.2021, 5.00 PM
Date and time for submission of online bid	18.05.2021 to 24.05.2021, 5.00 PM
Date and time of opening of tender	25.05.2021, 11.00 AM
Tender fee (Rs.)	118 .00 (including GST)
EMD (Rs.)	80000.00 (Eighty Thousand rupees only) Per block
Address for communication	Director (Farm) Central State Farm, Suratgarh, National Seeds Corporation Ltd.-335804
Contact person (With phone no. & e-mail)	Veer Singh, Asstt. Manager (P), 8949598268 E-mail- ago.csfsuratgarh@gmail.com

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

- **C1 India Private Limited:** Service provider to provide the e-Tendering Software.
- **NSCL e-Procurement Portal:** An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited ("NSCL") introduced for the process of e-tendering which can be accessed on https://indiaseeds.eproc.in.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

- It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency under CCA, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to participate in e-tendering portal of NSCL. Bidders can see the list of licensed CA's from the link www.cca.gov.in C1 India Pvt. Ltd. also facilitate Class III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) to the bidders. Bidder may contact C1 India Pvt. Ltd. at mobile no. +91-8130606629 for DSC related queries or can email at vikas.kumar@c1india.com

- To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes through **online** mode. Validity of Registration is 1 year.

- The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).

- To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from https://indiaseeds.eproc.in.

- To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through online mode (internet banking/debit card/credit card).

- The Bidder may modify or withdraw their bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified or withdrawn by the Bidder after the Bid Due Date and Time.

- Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).

- For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support MondaytoFriday Ph: **0124-4302033/36/37, nsclsupport@c1india.com.**

- It is highly recommended that the bidders should not to wait till the last date of bid submission to avoid complications like internet connectivity issue, network problems, system crash down, power failure, browser compatibility issue, system compatibility issue, improper digital signature certificate problem etc. In view of this context, neither M/s National Seeds Corporation Limited nor M/s. C1 India Pvt. Ltd will be responsible for such eventualities.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

विधायन सयन्त्र सख्या 19, 206 खण्ड–1 तथा 18, 228, खण्ड–2 पर रबी 2020–21,जायद 2021 तथा खरीफ 2021 मे उत्पादित रॉबीजो का विधायन, पैकिंग तथा पल्लेदारी से सम्बधित कार्यो हेतु श्रमिक ठेकेदार को नियुक्त करने व कार्य संचालन हेतु आवश्यक नियम एंव शर्ते ।

1- विधायन, पैकिंग तथा पल्लेदारी से सम्बधित कार्यो हेतु श्रमिक ठेकेदार को नियुक्त करने व कार्य संचालन हेतु समस्त सूचना हमारे पोर्टल www.indiaseeds.com, http//indiaseeds.eproc.in पर उपलब्ध। टेण्डर दो बिड आधार पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ स्थित सभागार में दिनांक 25.05.2021 को सुवह 11.00 बजे खोला जायेगा।

2- पात्रता मापदण्ड **(Eligibility Criteria) :**

1. रॉबीजो का विधायन, पैकिंग व पल्लेदारी आदि कार्य का ठेका लेने के लिये इन कार्यो का कम से कम **2 वर्ष का अनुभव** होना अनिवार्य है।
2. Shops & Establishment act के तहत राजस्थान राज्य से वैध लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
3. श्रमिक ठेकेदार के पास वैध श्रमिक लाईसेंस होना चाहिए अथवा जरूरत पडने पर श्रमिक लाईसेंस लेना होगा।
4. ठेकेदार या उसकी फर्म का **20 लाख रूपये या इससे अधिक का बार्षिक टर्न ओवर** होना अनिवार्य है तथा फर्म को दो वित्तीय वर्ष का **टर्न ओवर प्रमाण पत्र** देना होगा।
5. टेण्टर भरते समय श्रमिक ठेकेदार को ईएमडी, अनुभव प्रमाण–पत्र, ई.एस.आई, कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेनकार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा।

3- इस कार्यालय में खण्ड एक तथा खण्ड दो के विधायन सयन्त्रो की **धरोहर राशि खण्डवार रूपये 80000/– बैक डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के रूप में जो कि राष्टीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ** के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास समय पर जमा करवाने होगें।

4- सफल निविदादाता को वर्क आर्डर प्राप्ति के **सात कार्य दिवस के अन्दर सुरक्षा राशि के रूप में 1,00,000/– रूपये जो कि राष्टीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ के खाते में जमा कराने होगें।** कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने पर फार्म द्वारा इस राशि को बिना ब्याज के भुगतान कर दिया जायेगा।

5- **सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध एग्रीमेन्ट) रू. 500/– के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर जो सफल निविदादाता द्वारा खरीदा जायेगा, पर ठेका होने के 15 दिवस मे जमा कराना होगा ।**

6- कार्य के बारे में विस्तृत विवरण नियम व शर्तें अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 100/–18% GST=118.0 रूपये का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है।

7- श्रमिक ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे श्रमिक ठेकेदार के नाम अथवा टेण्डर के कार्य का भाग, निदेशक के.रा.फा. सूरतगढ़ की इजाजत के बगैर स्थानान्तरण नहीं कर सकता।

8- प्रत्येक कार्य की दर टैक्स सहित देनी होगी।

लगातार प्रष्ठ–2

9- अगर श्रमिक ठेकेदार अथवा उसके श्रमिको द्वारा फार्म पर किसी भी तरह की चल अथवा अचल सम्पतियो को नुकसान पहुचाया जाता है तो उस नुकसान की क्षति–पूर्ति श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

10- बीज विधायन, पल्लेदारी तथा पैकिगं का कार्य रबी 2020–21, जायद 2021 तथा खरीफ 2021 मे उत्पादित सम्पूर्ण रॉ बीजो के लिए है। अतः सम्पूर्ण रॉ बीजो के विधायन तथा पैकिंग से सम्बधित कार्यो को समय पर करके देना अनिवार्य होगा।

11- कार्य–स्थल फार्म के खण्ड एक तथा खण्ड दो के विधायन सयंत्र परिसर तथा गोदाम परिसर होंगे। खण्ड एक एवं दो के विधायन संयंत्रों के लिये अलग–2 निविदा भरना होगा व निविदा फार्म पर खण्ड/विधायन संयंत्र का नाम अंकित करना अनिवार्य है।।

12- फार्म की आवश्यकता को देखते हुए यदि पैकिंग साइज मे बदलाव होता है तो उस बदलाव के अनुसार कार्य करना होगा, जिसकी दर दोनो पक्षो के आपसी सांमजस्य से निर्धारित की जायेगी।

13- यदि टेण्डर की अवधि के दौरान किसी कारणवश जो कार्य फार्म के नियन्त्रण से बाहर है, को देखते हुए अनुबन्ध को निरस्त अथवा बदला जा सकता है।

14- टेण्डर अवधि के दौरान दिये गये समयसीमा मे ठेकेदार द्वारा कार्य नही करने अथवा देरी से करने पर यदि उस कार्य के देरी से होने पर नुकसान की आशंका है तो उस कार्य की दर का 2–5 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

15- कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा विल में से आव यकता अनुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य करवाना होगा और समय पर पूरा करवाना होगा।

16- सभी कार्य बीज प्रमाणीकरण सस्ंथा के क्रॉप कलैण्डर अनुसार दी गयी समयावधि मे हर हाल मे पूर्ण करना होगा।

17- कार्य के भुगतान का बिल ळैज के प्रारूप मे प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

18- ज्वै या अन्य कोई कर की कटोती नियमानुसार बिल में से की जायेगी।

19- श्रमिक ठेकेदार द्वारा फार्म मे रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।

20- श्रमिक ठेकेदार को अधिनियम 1970 के तहत रजिस्टर बनाना होगा, जिसमे श्रमिको की उपस्थिति एंव मजदूरी का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

21- फार्म के निदेशक महोदय द्वारा एक कर्मचारी को मनोनीत करने का अधिकार होगा जो कि श्रमिक ठेकेदार द्वारा बनाये गये रजिस्टर मे श्रमिको की उपस्थिति एंव भुगतान करने की राशि की जॉच करेगा। यदि जॉच के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है और फार्म मे जमा की गई EMD/ Security राशि से त्रुटि की भरपाई की जायेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी गेट पर अलग रजिस्टर होना आवशयक है जिसमे श्रमिको का आना एंव जाना अंकित हो।

22- **आवशयकतानुसार प्रोसेसिंग का कार्य 3 शिफ्टों मे चलाया जा सकता है जिसके लिए मजदूरों का प्रबन्ध फार्म द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार को करना होगा। अगर नियुक्त श्रमिक ठेकेदार द्वारा समुचित मजदूरों का बन्दोबस्त नहीं हुआ या कार्य समय पर नही होता या कार्य गुणवत्तापूर्ण नही होता है तो यह कार्य निविदा दर की लागत व जोखिम दर पर दूसरे ठेकेदार से कराने के लिये फार्म प्रबंधन स्वतंत्र होगा।**

23- बाल एंव श्रम अधिनिय अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को प्लान्ट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

24- प्लान्ट प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक व अन्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग से दुव्यर्वहार करने पर श्रमिक ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त की जायेगी। ठेकेदार के मजदूरों को प्रतिदिन कार्य खत्म होने पर प्लान्ट, गोदाम तथा फार्म कार्यालय परिसर के बाहर रहना होगा जिसका प्रबन्ध श्रमिक ठेकेदार को खुद करना होगा।

लगातार प्रष्ठ–3

25- काम के समय दिन व रात को श्रमिक ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों व थैलीयों को सोने व बैठने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करेगें। खाली बोरियों, कट्टों व थैलियों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर बण्डल बनाकर कार्य होने के साथ–2 रखना होगा।

26- श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिए श्रमिक ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

27- श्रमिक ठेकेदार को अपने पास कार्य पर लगाये गये मजदूरों की रजिस्टर में रोजाना हाजिरी लगाकर शिफ्ट प्रभारी को दिखानी होगी।

28- श्रमिक ठेकेदार को काम के समय कार्यस्थल पर रहना होगा।

29- मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

30- तिरपाल व क्रेट इत्यादि लगाने व ढ़ोने का कार्य श्रमिक ठेकेदार को स्वयं करवाना होगा तथा बरसात, आंधी, ओलावृटि आदि से बीज, रॉसीड व अण्डर साईज को बचाना होगा।

31- बीज की क्वालिटी संतोषजनक हो उसी के आधार पर फीडिंग करवाना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः फिडिंग करवाना होगा।

32- श्रमिक ठेकेदार व उसका प्रतिनिधि तथा मजदूरों का नाम व पता कार्य पर लगाने से पूर्व लिखित रूप में प्लान्ट प्रभारी को देना होगा।

33- श्रमिक ठेकेदार के मजदूरों द्वारा बीज की बोरियों व थैलियों में हुक का प्रयोग नही किया जायेगा। यदि श्रमिक हुक का प्रयोग करते हुए पाये गये तो बोरी/थैले की कीमत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

34- श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जॉचा जा सकता है तथा बिल प्रस्तुत करते समय भविष्य निधि/ई.एस.आई की चालान की प्रति साथ लगानी होगी। ठेकेदार द्वारा मजदूरों का भुगतान न किये जाने पर बिलों से पैसा काटकर फार्म द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा।

35- श्रमिक ठेकेदार के मजदूरों की शिकायत की जिम्मेवारी श्रमिक ठेकेदार की ही होगी।

36- बीज एंव अण्डरसाईज की तुलाई सही व निश्चित मात्रा के अनुसार सही होनी चाहिए अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तौलकर चैक किया जा सकता है और अगर तौल सही ना मिला तो पूरा का पूरा लॉट दोबारा तुलवाना होगा। अण्डर साइज को एक ग्रेड बनाकर रखवाना होगा साथ ही दाल/चूरी व डण्ठल आादि की अलग ग्रेड बनाकर रखनी होगी।

37- अगर श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नही पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जायेगा तथा धरोहर व सुरक्षा राशि जब्त कर, कार्यवाही भी की जा सकती है।

38- श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पियेंगे तथा ज्वलनशील पदार्थ अंदर नहीं लायेंगे।

39- श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार हेतु पाउच) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देगा। दवा की पुड़िया बनाते समय, बीज का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा शिफ्ट इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। यदि दवाई से कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।

40- श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट की मशीनों तथा बिजली के स्विच आदि के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। मशीनों को नहीं चलायेगा।

41- प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर गोदाम या प्लान्ट के शटर बंद करवाने होगें।

42- प्रोसेसिंग व पैंकिंग मैटेरियल श्रमिक ठेकेदार के आदमी द्वारा गोदाम से प्लान्ट पर लाना होगा तथा पैकिंग व प्रोसेसिंग का कार्य शुरू करवाना होगा।

लगातार प्रष्ठ–4

43- विधायन संयंत्र को चालू करने से पूर्व संयंत्र परिसर में अच्छी तरह से सफाई करानी होगी। विधायन संयंत्र परिसर में किसी भी प्रकार गंदगी होने पर तुरंत सफाई करनी होगी । गोदाम में जहां विधायन/पैकिंग हेतु बीज उठाया जा रहा है उसकी सफाई करना अनिवार्य है।

44- यदि किसी किस्म में अन्य बीजों का मिश्रण है तो उस बीज लॉट की चुगाई का कार्य भी ठेकेदार के मजदूरों द्वारा किया जायेगा जिसका अलग से भुगतान किया जायेगा।

45- पल्लेदारी के कार्य के दौरान जैसे लोड़िग अनलोड़िग या चट्ठा लगाते समय श्रमिक ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है। इसकी वैधानिक देयता की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

46- टेण्टर मे दिये गये सभी कार्यो की दर देना अनिवार्य है अन्यथा कार्य की दर नही देने पर उस कार्य को श्रमिक ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा तथा उस कार्य का भुगतान फार्म द्वारा नही किया जायेगा।

47- ठेकेदार के पास कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई.एस.आई का पंजीकरण अथवा कोड होना जरूरी है।

48- बैगक्लोजर एंव भार मापक यंत्र श्रमिक ठेकेदार को काम चालु करने पर सही हालत मे सौंप दिये जायेगे तथा काम पूर्ण होने पर सही हालत मे लिये जायेगें।

49- आगामी वर्ष के लिये यदि टैण्डर स्वीकृत होने में समय लगता है तो उस स्थिति में वर्तमान ठेकेदार को ही स्वीकृत दरों तब तक कार्य करना होगा, जब तक नया टैण्डर फाईनल नही होता तथा पार्टी को वर्क आर्डर ऑफर नही कर दिया जाये।

50- टेण्टर मे दी गई नियम एंव शर्तो के अलावा कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

51- टेण्डर मे दिये गये नियम एंव शर्ते तथा आव यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य एवं स्वमान्य होंगे, जो कि श्रमिक ठेकेदार को मान्य होगें। श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य करने मे देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकी EMD/ Security राशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

52- Indivisual slab will be alloted to respective L-1 party. He can not cailm for award of contract for other slab also in which is not L-I (Lowest rates giving party). However for the purpose of convinience and suitability NSCL reserve the right to award other slab to L-1 party in which he is no L-1 on the basis of being L-1 in maximus slabs. Further the rates will be offered of already quoted by other party in the tender. No claim shal be made by other party for not being awarded the contract.

53- **Arbitration clause:** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा–निर्देश/नियम एंव शर्ते मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लिये है। उपरोक्त सभी नियम एंव शर्ते के अंतर्गत कार्य नही होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आव यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

दिनांक...

हस्ताक्षर निविदादाता................................

निविदादाता का नाम..................................

पता...

मोवाईल नं..

	नेशनलसीड्सकॉरपोरेषनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509–223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

क्रमांक सीएसएफ/एसओजी/2–एसपीयू/08/2020–21 दिनांक:–

Annexure "A"

Technical Bid

Tender form (Labour Contractor)

1. Labour Contractor's Name and Address ....
2- E.P.F. Registration no. ....
3- E.S.I Registration no. ....
4- Income tax PAN No. ....
5- Experience Certificate ....
6. Registration no. (Labour Contractor) ....
7- Labour Shop / Labour License ....
8- Security Deposit UTR No./Date ....
9- Tender Form fee's UTR No. / Date ....
10- Non black listing certificate ....
11- Turn Over Certificate (Last Two Financial Year) ....

Note :– Kindly Attach Aforesaid document's Photocopy.

Signature ....

Name ....

Address ....

....

....

Mobile No. ....

E mail ....

क्रमांक सीएसएफ / एसओजी / 2—एसपीयू / 08 / 2020—21 दिनांक:—

To,
The Director,
National seeds Corporation Limited,
Central State Farm, Jetsar.

Tender Form (Financial Bid)

Rabi 2020-21/Summer–2021 / Kharif-2021

For Work of Processing, Packing & Palledari of PP-19, 206 Block-1 and PP-18, 228 Block-2.

Processing Plant No. and Blocks………………………………………………

S. No.	Processing Work	Packing Size	Rate offered per Qtls. (in rupees) Inclusive of all taxes
1	**Raw seed processing work: -** it includes shifting of seed bags from raw seed stacks to feeding site or cast the raw seed bags from stacks to feeding site by loading into truck or trolley/ Pouring of raw seed from feeding site to elevator /after the seed processed by processing machines and filled in gunny bags, a bookram or marka must be tie up on gunny bags and to weigh and sewing of processed seed bags. Stacking of Processed seed (12-15 bag Height) at the same site or other site of warehouse by loading into truck or trolley and filling of undersize in gunny bags, after weighing, sewing Stacking of undersize at the same site or other site of warehouse by loading into truck or trolley and covering it with Tarpaulin and also the cleaning of place of seed stacking, processing and transportation means like trolley etc. and again pouring of undersize in processing plant which come out from grader and gravity separator / seed effected with quality reprocessed again.	20–60 Kg	
2	**Packing of seeds:–** loading of seed into truck or trolley and take it to warehouse or the taking gunny bags of seed from stacks to other place, opening of gunny bags , marking on bag/polybags of different size or wring of seed details on it by marker pen making of Tags and labels with use of rubber stamp filling of seed in bag/polypouch of different packing sizes , weighing, putting of leaflets culture and pesticide in pouches separating the bag/polypouches by matching their tags and labels, sewing of the seed pouches and attachment of seal on it and pressing the seal with plyer putting of small packing bag/polypouches in big gunny bags then sewing of gunny bags and loading into a truck or trolley and after that their transportation to warehouse and stacked them at same site or other site of warehouse as well as cleaning of the	0-100 gram 101-500 gram 501-999 gram 01–05 Kg 06–10 Kg 11–20 Kg 21–40 Kg	

	site of packing and after completion of packing filling of seed sweepage in gunny bags to said site.		
3	**Advance Packing of seeds :–** after grading of raw seed simultaneous packing of graded seed as per requirement in which all work related to Sr.No. 1	20–40 Kg	
4	**Packing by the use of automatic machine :–**	01-100 gram 101-500 gram 501-999 gram 01–10 Kg 11–40 Kg	
5	**Seed Treatment :** A; Seed treatment by hand. B: Seed treatment by machine	 Per Qtl. Per Qtl.	
6	**Seed processing by spiral separator:–** It includes shifting of raw seed bags from raw seed stacks to feeding site or cast the raw seed bags from stacks to spiral separator and filling in standard bags and Stacking of Processed seed at the same site or other site of warehouse by loading into truck or trolley and filling of undersize in gunny bags, after weighing, sewing Stacking of undersize at the same site or other site of warehouse by loading into truck or trolley and covering it with Tarpaulin and also the cleaning of place of seed stacking, processing and transportation means like trolley etc.	20–50 Kg	
7	**Loading and unloading of stakes for different purpose :–** A. Unloading bags from warehouse or other place and loading them in trolley or truck B. Unloading by trolley or truck, rolling up to the height of 12-25 bags etc. **Above rates are eligible for MM and Logistic section.**	 20–50 Kg 20–50 Kg	
8	**Revalidation Work :–**it includes taking out all small packing of bag/poly pouches from gunny bags and applying of revalidation stamps on every bag/pouch and after signature from the officials of certification agency on the bag then again filling in gunny bag and stacking of these bags varying from 10 to 50 kg size after revalidation stamps on tags and signature of officials of certification agency on the gunny bag.	01-100 gram 101-500 gram 501-999 gram 01–05 Kg 06–10 Kg 11–20 Kg 21–40 Kg	
9	**Regrading of fail lot:–**including all the work previously mentioned in S. no. 01 and 02	20–50 Kg	
10	**Separately stamping on packed seed** it includes taking out all small packing of bag/polypouches from gunny bags and applying of revalidation stamps on every bag/pouch tag and label	01-100 gram 101-500 gram 501-999 gram 01–05 Kg 06–10 Kg 11–20 Kg 21–40 Kg	
11	**Bulk packing work :–** It includes loading of seed bags into a truck or trolley and after that their transportation to place of	20–60 Kg	

	packing and then after filling sewing tagging again loading of in trolley and stacking of packed seed at said warehouse		
12	Making of 1-200 gms of different sizes of thirum/carbendazinm pouches.	Per Pouches	
13	Unloading and loading of bags used for packing work.	Per bundle	
13	**Cleaning of undersize / seed by mobile plant: -** it includes all works mentioned in S.No. 1.	20–50 Kg	
16	**Reprocessing and packing of carry over seed :–** At the time of revalidation of carry over seed if necessary regarding of standard packed/bulk packed seed / packing of regarded seed and seed bags from stacks to feeding site by loading into truck or trolley/ Pouring of carry over seed from feeding site to elevator /after the seed processed by processing machines its packing and again stacking at said site.	1-100 gram 101-500 gram 501-999 gram 01–05 Kg 06–10 Kg 11–20 Kg 21–40 Kg	
17	**Repacking of packed seed in poly pouces :–** , it includes opening of seed bags (in a way there is no damage to tag) filling with seeds sticking of sticker with poly pouch and then putting of small paking poly pouces in big gunny bags then sewing of gunny bags and loading into a truck or trolley and after that their transportation to warehouse and stacked them at same site or other site of warehouse as well as cleaning of the site of packing	1-100 gram 101-500 gram 501-999 gram 01–02 KG 03–05 KG	
18	**Hand Picking** of graded seed as per requirement	Per Quintal	

Signature----------------------------------
Contractor's Name--------------------------------
Father's Name --------------------------------------
Address---------------------------------------

District---
Mob. No.--
E. Mail --

	नेशनलसीड्सकॉरपोरेषनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509–223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

क्रमांक सीएसएफ/एसओजी/2–एसपीयू/08/2020–21 दिनांकः–

Annexure-B

FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON COMPANY LETTER HEAD WITH REGARD TO BLACKLISTING / NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION

UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON- DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,
The Director,
NSC, CSF Suratgarh.

We hereby confirm and declare that we, M/S………………………………………, have not been blacklisted /De-registered by any Government department / Public Sector Undertaking / Private Sector / or any other agency for which we have Executed / Undertaken the work / Services during the last 5 years

.

For…………………………
Authorised Signatory
Date: